योजना, किसान कैडिट कार्ड, एटीम कार्ड, डैबिट कार्ड, रूपये कार्ड, ऑनलाईन ट्रांजैक्शन, व बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बचत स्कीमों की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

युवा बचाओ भविष्य बचाओ अभियान

आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में बेरोजगार और पढ़े लिखें युवा नशे के ऐसे मकड़जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नशा एक ऐसी गहरी और आकर्षक गुफा है जिसमें जाने के बाद वापसी कम ही होती है। व्यक्ति इस रास्ते पर आगे तो बढ़ जाता है लेकिन पीछे से दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन दिनों सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन तेजी से मौत की ओर ले जा रहा है। मण्डी साक्षरता एवम् जन विकास समिति, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई,मण्डी गुजंन स्वयं सेवी संस्था पालमपुर,(हि.प्र.)युवा बचाओ भविष्य बचाओ अभियान पूर्व की तरह इस अभियान को साक्षरता अभियान की तर्ज पर व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य, नारकोटिक्स विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, शिक्षण संस्थान,स्वंय सहायता समूह, महिला,युवक मण्डल,पंचायती राज,धार्मिक-राजनैतिक व सामुदायिक संस्थाओं का भविष्य में सहयोग लिया जायेगा।

पर्यावरण बचाओ अभियान

पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत हर वर्ष पौधरोपण अभियान किया जा रहा है। हर वर्ष वर्ष हजारों पौधों का रोपण किया जा रहा है।

कार्यो का निरीक्षण एवं मूल्यांकन-

- राष्ट्रीय साक्षरता संसाधन केन्द्र, लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान, मंसूरी।
- साक्षरता व उत्तर साक्षरता अभियान का मूल्यांकन-राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अधिकृत मीडिया रिसोर्स ग्रुप दिल्ली।
- टाटा ट्रस्ट, मुंबई द्वारा साक्षरता अभियान का प्रभाव तथा समिति के समन्वित प्रयास का अध्ययन।
- स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत समिति की गतिविधियों का बिल मिलिंडा गेट फांउडेशन वाशिंगटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवलोकन।

पुरस्कार एवम् सम्मान

- मण्डी साक्षरता एवम् जन विकास समिति को 5सितंबर,1998 में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री ईश्वर चंद धीमान द्वारा 5 सिंतबर1998 कुल्लू को पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार समिति के संस्थापक सचिव सुंदर लोहिया ने प्राप्त किया।
- 22अक्तूबर,1998 को माण्डव कला मंच द्वारा मंडी साक्षरता समिति को पुरस्कृत किया गया।
- नाबार्ड शिमला द्वारा वर्ष 2005-2006स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम में तृतीय स्थान दिनांक 29 मार्च,2007 को सम्मानित किया गया।
- नाबार्ड शिमला द्वारा वर्ष 2006-2007 स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम में तृतीय स्थान दिनांक 24 मार्च, 2008 को सम्मानित किया गया।
- जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2007-2008 में मंडी जिला को महार्षि बाल्मिक राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया।
- नाबार्ड शिमला द्वारा वर्ष 2008-2009 स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम में प्रथम स्थान दिनांक 23 मार्च, 2010 को सम्मानित किया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मण्डी जिला देश का पहला खुला शौचमुक्त जिला घोषित किया गया। दिनांक 19सितंबर,2016 को यह पुरस्कार श्री संदीप कदम उपायुक्त एवम् अध्यक्ष मण्डी एवम् साक्षरता समिति ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्राप्त किया व अध्यक्ष महोदय को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया।
- नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016-17 में स्वयं सहायता समूह में बेहतर कार्य करने के लिये पुरस्कार व को सम्मानित किया गया।
- नाबार्ड शिमला द्वारा वर्ष 2010-2011स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम में तृतीय स्थान दिनांक 24 मई,2012 को सम्मानित किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में -उतरी भारत में प्रथम देश में द्वितीय दिनांक 19जुलाई 2019 को सम्मानित किया गया।
- जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2018-19 में स्त्री अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- नाबार्ड शिमला द्वारा वर्ष 2020-2021 स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये दिनांक 9फरवरी,2022 को सम्मानित किया।
- गुंजन स्वंय सेवी संस्था पालमपुर द्वारा दिनांक 25जून2024 को नशीली दवा विरोधी (Anti Drug) बारे समिति को युवा वर्ग और आम जन मानस को चिटट् व नशीले पदार्थो से हो रहे नुक्सान बारे जागरूक करने हेतु समिति को सम्मानित किया गया।

हमारी सांगठनिक ताकत -

- जमीनी स्तर तक समर्पित कार्यकर्ता।
- जनता का समिति के प्रति विश्वास
- सांगठनिक तौर पर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के कार्यकर्ताओं का संमिश्रण या आपसी जुड़ाव।
- सामाजिक परिवर्तन हेतु दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य।

इस तरह अपने सपने को साकार करने के सफर में मण्डी साक्षरता एवम् जन विकास समिति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में वैज्ञानिक सोच के साथ निरंतर अग्रसर है।

मण्डी साक्षरता एवम् जन विकास समिति

सौली खड्ड, मण्डी , (हि0 प्र0)-175001

मोबाईल नंबर:-94180-73190, 94181-64777, 70181-07573

मण्डी साक्षरता एवम् जन विकास समिति

सौली खड्ड मंडी, जिला मंडी,(हि.प्र.)-175001

पंजीकृत संख्याः 17/92 पेन नम्बर -AAAJM0214C

MSS
1992-2003

MSJVS
2003 onwards

मण्डी साक्षरता समिति एक परिचय ...

मण्डी जिला में साक्षरता अभियान की शुरूआत का अपना अलग ही इतिहास है। वर्ष 1987 से ही इस दिशा में प्रयास किये जा रहे थे। बहुचर्चित भोपाल गैस काण्ड ने सब सारे देश को हिलाकर रख दिया था, तब राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों, बुद्विजीवियों, लेखकों व कलाकारों को एक मंच पर इकट्ठा करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष1987 में 26 संगठनों ने अपने आपको अखिल भारतीय जन विज्ञान नेट वर्क के रूप संगठित किया। इसमें वैज्ञानिकों अध्यापकों, कलाकारों और जन विज्ञान कार्यकर्ताओं के पांच क्षेत्रीय जत्थे निकाले गये। भारत जन विज्ञान जत्था 2अक्तूबर1987 को शुरू हुआ था, लगभग 25हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुये 500से ज्यादा स्थानों पर अपने कार्यक्रम दिये। मण्डी जिला भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। इस जत्थे में मण्डी के कलाकार कुलदीप गुलेरिया का शामिल होना तथा दो दिवसीय प्रवास के दौरान मण्डी नगर व इसे आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों व प्रदर्शनियों का आयोजन होना कुछ जागरूक लोगों पर इस दिशा में कुछ कर गुजरने का जनून सा सवार हो गया।

वर्ष1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से आत्म निर्भरता व राष्टीय एकता के लिये विज्ञान और साक्षरता का नारा दिया गया। मण्डी जिला भी इस हलचल से अछूता नहीं रह सकता। साक्षरता दूत के रूप में राजेन्द्र मोहन और भूपेंद्र सिंह ने कला जत्थे की अगुवाई की। 25जून1990 को जिला स्तरीय सम्मेलन में ही एक कला जत्थे का गठन हुआ जो थोड़े से प्रशिक्षण के बाद गांव-गांव में साक्षरता की मशाल जलाने चल पड़ा।

जत्थे द्वारा तैयार नाटक कथा रामदीन की में एक अनपढ़ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का चित्रण इस खूबी से किया गया कि आम आदमी को रामदीन के भीतर अपना अक्स नजर आता। तत्तकालीन जिलाधीश डा. अशोक रंजन बसू की अध्यक्षता में भारत ज्ञान विज्ञान समिति की मण्डी इकाई का गठन किया गया। मण्डी जिला में यहीं से साक्षरता अभियान का सूत्रपात हुआ।

इस तरह जगी साक्षरता की मशाल

इस आड़े वक्त में शहर के साहित्यकारों की मिलन स्थली चाय की दुकान **'अलंकार'** काम आयी। जहां पर बैठकर इस विषय पर बातचीत जारी रहती थी। दूसरी ओर इस अभियान की मूल भावना प्रशासन को समझने में भी काफी मेहनत करनी पड़ी। जबकि अभियान की प्रवृति के अनुसार जिला स्तर पर साक्षरता का गठन होना जरूरी था, साथ ही उपायुक्त का इस समिति का अध्यक्ष बनना भी आवश्यक था।

5 फरवरी,1992को विधिवत ढंग से मण्डी साक्षरता समिति का गठन सोसायटी एक्ट1860 के तहत किया गया जिसके तत्तकालीन अतिरिक्त उपायुक्त जी.एस. राठौर अध्यक्ष बने वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सुंदर लोहिया मण्डी साक्षरता समिति के सचिव बनाये गये। इसी माह मण्डी जिला के लिये अलग से साक्षरता परियोजना तैयार की गई।

समिति का गठन

सोसायटी एक्ट-2006 के तहत समिति का नवीनीकरण किया गया। समिति द्वारा अब तक जिला प्रशासन से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का सफल संचालन ग्रामीण स्तर पर जन सहयोग से किया जा चुका है तथा समाज के निम्न वर्ग के सशक्तिकरण हेतु आज भी अनेक सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं व गतिविधियों का संचालन कर रही है।

साक्षरता की परिभाषा

- अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
- अपनी बदहाली के कारणों को समझना, उससे मुक्ति की दिशा में प्रयास करना इसके लिये आवश्यक संगठन बनाना और विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आर्थिक स्थिति और रहन-सहन को बेहतर बनाने की क्षमताएं शामिल करना।
- राष्ट्रीय एकता पर्यावरण की सुरक्षा, महिलाओं की समानता और छोटे परिवार के तौर तरीकों आदि मूल्यों को आत्मसात करना।

हम कार्यरत हैं

एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में स्वयंसेवी भावना से राज्य/केन्द्र सरकार के विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर व्यवहारिक तौर से कार्यान्वयन हेतु जमीन तैयार कर रहे है, ताकि समाज के अति-पिछड़े व वंचित समूहों को विकास की गति से जोड़ा जा सके। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके अर्थोपाजन हेतु प्रशिक्षित करना व उनके कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना। दस्ताकारों को पारंपरिक हस्त दस्तकारी की नवीनतम तकनीक से जोड़ना। किसान समूहों का गठन करके कृषि की उन्नत तकनीक से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना। युवाओं को कृषि, बागवानी, पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करना।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (1992-1994)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित पोषित इस अभियान में कुल 1,18,000 लोगों में से 75 हजार ने प्राईमर 3 पूर्ण किया। जिसमें 62 हजार नवसाक्षरों में 54 हजार महिलाएं और 8 हजार पुरूष थे। इस अभियान में 34 गीतों का निर्माण किया गया जिसे अभियान में गाया गया। जिनमें मुख्य गीत **ले मशालें चल पड़े है लोग मेरे गांव** के इत्यादि। अभियान के दौरान कथा ज्वालापुर की नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान 18 नये सांस्कृतिक दल उभर कर आये। इस दौरान 70 पुस्तकों को प्रकाशित (साक्षरता, उत्तर साक्षरता व सतत् शिक्षा अभियान के अंतर्गत) किया गया। 11 लीफलेट प्रकाशित किये गये तथा अखबार व पत्रिकायें जिनमें गुलदस्ता-मासिक पत्रिका, जनचेतना-पाक्षिक अखबार तथा धार मासिक अखबार मुख्य थी।

उत्तर साक्षरता अभियान (1995-1997)

वित पोषण-मानव संसाधन विकास मंत्रालय उत्तर साक्षरता अभियान में 3000 जन चेतना केन्द्रों का लक्ष्य था जिसमें समिति द्वारा 2400 जन चेतना केन्द्र का लक्ष्य हासिल किया।

सतत् साक्षरता अभियान (1998-2005)

वित पोषण-मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिला मंडी में ''सतत शिक्षा कार्यक्रम'' हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल,1998 को ''सतत शिक्षा कार्यक्रम'' का शुभारंभ तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री श्री सुखराम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने शैक्षणिक उपसमिति द्वारा तैयार की गई पुस्तक ''एक सपने का सफर'' का भी विमोचन किया। इस कार्यक्रम में पूरे जिला के सभी खंडों के 1500 से अधिक नवसाक्षरों, जनचेतना गाईडों व साक्षरता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला साक्षरता समिति ने जिले में 52 नोडल सतत शिक्षा केन्द्र, 429 सतत शिक्षा केन्द्र तथा 2692 मिनी सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की है। सतत शिक्षा केन्द्रों/ जन चेतना केन्द्रों में दरी, छोटी अल्मारी, मेज कुर्सी दी गई है। अल्मारी मुहैया करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि साक्षरता समिति द्वारा दी गई पुस्तकों, अन्य पठन पाठन सामग्री, स्टॉक रजिस्टर और कृषि यंत्र प्रदान किये है । लगभग 30-40 पुस्तकें जिसमें लीफलैट, पम्फलैट और कुछ पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक या समय समय पर निकलने वाली कुछ पत्रिकाएं भी उपलब्ध करवाई गई है

- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (IEC)1998-2000 वित पोषण.- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- जनगणना जागरूकता (2000-2001) वित पोषण - हिमाचल सरकार
- पानी एवं स्वच्छता के लिए जागरूकता हेतु सूचना, शिक्षा व संचार अभियान (2002-03) वित पोषण जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई मंत्रालय हिमाचल सरकार।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (2005-2009)

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के चलते मंडी जिला हेतु पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। जिले में यह अभियान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसकी सर्वप्रथम जिला स्तरीय संपूर्ण स्वच्छता संबंधी बैठक का आयोजन दिनांक 28 जुलाई, 2005 को उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में हुआ। जिसमें अभियान को संचालित करने के लिए मंडी साक्षरता एवम् जन विकास समिति को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के लिये मण्डी प्रशासन को प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिला।

सूक्ष्म बीमा योजना वर्ष 2009 से लगातार

मंडी साक्षरता एवम् जन विकास समिति द्वारा मार्च 2009 में भारतीय जीवन बीमा निगम से इकरार किया तथा सुक्ष्म बीमा की ऐजेंसी ली। वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्व. डा. अब्दुल कलाम ने देश के आम जन तक बीमा की सुविधा पहुंचाने हेतु सूक्ष्म बीमा के नाम से योजना आरंभ की। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया जायेगा। समिति आज के समय में 4जिलों जिसमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर के 27 खंड इकाईयों में सुक्ष्म बीमा का कार्य कर रहा है। अभी तक 1359 बीमा मित्र समिति भर्ती कर चुकी है जिनमें से 784 बीमा मित्र सक्रिय है। समिति द्वारा अप्रैल, 2024 तक 2.65लाख पॉलिसियां बनाई जा चुकी है। समिति के पास 17 सबकोड,17 प्रीमियम प्वांईट, मासिक एवरेज नवीनीकरण 1.5 करोड़ है। समिति कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से जहाँ सामाजिक सुरक्षा मिली है वहीं समिति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है। बीमा के क्षेत्र में समिति को उत्तरी भारत में माईक्रों बचत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जो समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन का परिणाम है।

मण्डी विकास अभियान

वर्ष 2016 से 2018 तक समिति के अध्यक्ष एवम् उपायुक्त श्री संदीप कदम की अगुवाई में समिति ने मण्डी विकास अभियान का डिजाईन तैयार करके बेटी बचाओ अभियान के तहत मेरी लाडली अभियान के तहत घर-घर बधाई कार्ड देना व बेटियों के जन्म पर धाम आयोजन। आपदा प्रबंधन में हजारों सर्व को प्रशिक्षण देना। सामाजिक सुरक्षा में एक लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया। स्वच्छता अभियान के तहत हजारों जल स्रोतों की सफाई को एक छतरी के निचे चलाकर जिला भर में एक हजार महिला मण्डलों स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज, मंडी साक्षरता एवम् जन विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन चलाया जिसको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसमें ग्रामीण विकास विभाग, रैडक्रॉस, सामाजिक न्याय एवम् बाल विकास व जिला आपदा प्रबंधन ने अपना योगदान दिया।

नाबार्ड स्वीकृत परियोजना

- वर्ष 2000 से 2015 तक 5000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जिसमें 500 महिलाओं को विभिन्न कौशल के प्रशिक्षण दिये गये है। इसके लिये एलईडीपी प्रशिक्षण जजैंहली,थुनाग, बल्ह,मझवाड़ में 360 महिलाओं को विशेष 2 वर्ष प्रशिक्षण दिया गया।
- समूहों के उत्पादों हेतु रूरल मार्ट व ग्राम दुकान नाबार्ड से खोले गये है।
- 1800 संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से 7200 लोगों को रोजगार हेतु 9 करोड़ ऋण राशि बैंक ने प्रदान की है।
- थाची कलस्टर में लोहगिरी हेतु 16लाख की आधुनिक मशीनरी दस्तकारों को प्रदान की गई।
- किसान उत्पादक संगठन के तहत प्रगतिशील किसान संगठन माहूनाग करसोग सब्जी व फलों का कार्य कर रहा है।
- सराज वैली (400 महिलायें) डायरी का कार्य कर रही है।

OFPO सरोआ हैडलूम

मंडी साक्षरता एवम् जन विकास समिति को नाबार्ड द्वारा सरोआ में गैर कृषक उत्पादक संगठन परियोजना के तहत 500 बुनकरों के लिये 90.11 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है जिसमें लगभग 12 पंचायतों के बुनकर लाभावित होगें। सरोआ में बुनकरों के लिये सामुदायिक सुविधा केन्द्र 35 लाख रूपये से तैयार किया जायेगा। बुनकरों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिये परंपरागत डिजाईन को अपग्रेड करने के अलावा शॉल, स्टॉल, चादरें,जैकेट, पट्टियां इत्यादि तैयार करवाई जायेगी और समय समय पर डिजाईन अपग्रेड करके बुनकरों को प्रशिक्षण देकर उनके उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा।

भवन एवम् अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

हिमाचल प्रदेश भवन एवम् अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड शिमला द्वारा समिति को प्रदेश भर में जागरूकता शिविर आयोजित करने हेतु परियोजना स्वीकृत की हैं। जिसके प्रथम चरण में द्रंग ब्लॉक का कार्य 31मार्च,2022 तक पूरा किया जा चुका है। इस संबध में 45पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया है

वित्तिय साक्षरता केन्द्र (CFL)परियोजना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तिय समावेशन कार्यक्रम के तहत पूरे देश में हर ब्लॉक स्तर पर वित्तिय साक्षरता केन्द्र सीएफएल सैंटर स्थापित करने की योजना चलाई जा रही है। जिसके संचालन हेतु कुल 9 सीएफएल सैंटर स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें मण्डी सदर में सदर, द्रंग, चौंतड़ा, बल्ह में बल्ह,धनोटू, सुन्दरनगर, गोहर में गोहर, बालीचौकी, सराज, चुराग में चुराग, करसोग, निहरी, गोपालपुर में गोपालपुर, धर्मपुर, नग्गर में नग्गर, कुल्ल, भुन्तर, आनी में बंजार, निरमण्ड, आनी, हमीरपुर में हमीपुर, नदौन, सुजानपुर टिहरा, भोरंज में भोरंज, बिझड़, बमसन सीएफएल सैंटर समिति द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं-प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योती बीमा योजना, अटल पैशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पैंशन योजना, प्रधानमन्त्री मुद्रा